Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 19-05-2006
Participants : Singh Shri Prabhunath,Dhindsa Shri Sukhdev Singh,Yadav Shri Devendra Prasad,Mollah Shri Hannan,Suman Shri Ramji Lal,Maken Shri Ajay,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Dasgupta Shri Gurudas,Pathak Shri Brajesh,Mukherjee Shri Pranab

an>

Title : Situation arising out of continuing demolitions in Delhi, despite passing of legislation by the Parliament banning demolitions for a period of one year.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैंने आपको क्वैश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Question Hour cannot be suspended.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह क्वैश्चन आवर का सवाल नहीं है। यह कंटेम्पट आफ दि हाउस का मामला है। यह हाउस की प्रेस्टीज का मामला है।...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, यह एक बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्वैश्चन आवर सस्पेंड क्यों करना चाहिए, इस बारे में आपको सुनना ही पड़ेगा कि क्यों हमने क्वैश्यन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है। It is under the rules.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Question Hour cannot be suspended.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, कल हाई कोर्ट ने आर्डर्स किए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :यह बात ठीक नहीं है कि हम क्वैश्चन आवर सस्पेंड करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्वैश्चन आवर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह क्या तरीका है, आप सुनिए तो सही कि हमने क्यों आपको क्वैश्चन आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। एक अवमानना है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give you a chance after Question Hour.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप सुनिए तो सही कि हम क्वैश्चन आवर सस्पेंशन के लिए क्यों कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :आप जीरो आवर में अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, यह गंभीर मामला है। यह हाउस की प्रेस्टीज का सवाल है।...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give you enough time during 'Zero Hour'.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। आज हिंदुस्तान टाइम्स में...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप जीरो आवर में अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, इस बारे में दो मिनट सबकी राय सुन लीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. I have received a notice for moving an Adjournment Motion and also a notice for suspension of Question Hour. It is not possible for me to suspend the Question Hour. Since the matter is very serious, you can make your submissions very fast. I cannot give you much time.

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। हमने नोटिस दिया है और आप पहले सुनिए कि हम क्या कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दे दिया है। आप सब्मिशन कर लें।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It says:

> "The Delhi High Court on Thursday formed a two-member Committee as a permanent mechanism to ensure implementation of its order to raze all unauthorised constructions in the capital.
>
> Then, they say, "The Court issued the order after saying…"

ये समझते होंगे कि यह टेम्परेरी मामला है। संसद ने पास कर दिया और पार्लियामेंट का लॉ आ जाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा। They say that they are now setting up a permanent mechanism और उस परमानेंट मैकेनिज्म means the contempt of the whole House. लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पास किया हुआ लॉ टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। हर हफ्ते, हर रोज 4 पुलिस चीफ कमिशनर और चीफ सैक्रेटरी, डीडीए वाइस चेयरमैन, ये अधिकारी रोज फारमर पुलिस कमिशनर को रिपोर्ट करें, कोर्ट को रिपोर्ट करें कि कितनी डिमोलिशन हुई, क्या-क्या किया गया। Are they all responsible to these people? क्या वे अपने मिनिस्टर को रिस्पोंसिबल हैं,क्या चीफ सैक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को रिस्पोंसिबल है? उसे अपने चीफ मिनिस्टर को बताने की जरूरत है। कल क्या हुआ, एक मकान नहीं गिराया, क्योंकि लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। यह मकान पुराना बना हुआ है, इसे नहीं गिराया VÉÉA[i1]। वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचवेशन हो गई है। उस डिप्टी कमिश्नर को 50 हजार रुपए जुर्माना, सीबीआई की इनक्वायरी, कोर्ट का कंटैम्प्ट ऑर्डर और ट्रांसफर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और कारपोरेशन आपका है। कारपोरेशन पर आपका अधिकार है और वह मेयर को रिसपॉन्सिबल है, कमिश्नर को रिसपॉसिबल है, या कोर्ट के कमिश्नर को रिसपॉसिबल है? साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस का सस्पैंशन ऑर्डर और रोहणी के डिप्टी कमिश्नर पुलिस का ससपैंशन ऑर्डर हो गया। यहां रैजोल्यशन पास किया गया था। कहा गया कि सारी झुग्गी-झोंपडियां हटा दी जाएं और कोर्ट ऑर्डर से सारे रेहड़ी-पटरी वाले हटा दिए जाएं, 10 लाख मकान और चार लाख दुकानें सब गिरा दी जाएं, यह कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट कहता है कि all these orders have to be implemented. जो इसे इम्पलीमैंट न करें, उसके खिलाफ कंटैम्प्ट लगा दिया जाए। The court also directed the Commissioner of MCD, Vice-Chairman of DDA, Chief Secretary of Delhi Government and the Divisional Commissioners to report to that Committee. That Committee is to report to the High Court judges. What is the Prime Minister there for? यहां पर श्री जयपाल रेड्डी जी ने कहा था। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : आप प्रधान मंत्रा जी का नाम क्यों ले रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उनके बारे में कहूंगा। माकन जी, डिफेंड मत करिए।

Please look at what is happening. … (*Interruptions*)

श्री जयपाल रेड्डी जी ने हाउस को एश्योर किया था कि आज के बाद कोई मकान दिल्ली में नहीं गिरेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अजय माकनः हमने यहां वह बिल पास किया था। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में मत बोलिए। आप अपनी बात रखिए। आप प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले रहे हैं? ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except Prof. Malhotra.

(Interruptions) ...*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कहा गया था कि कोई रेहड़ी-पटरी वाले हटाए नहीं जाएंगे। हमने दोनों सदन में उस बिल को पास किया था। उसे पास कराने के बाद क्या हुआ?

श्री अजय माकनः आप पॉलिटिकल प्वाइंट स्कोर न करें।

---

*Not Recorded

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : It is not a political point. How can you say it is a political point? श्रीजयपाल रेड्डी जी ने एश्योर किया था। क्या दोनों हाउसेज की स्पिरिट बनाए रखना काफी नहीं है?...(व्यवधान)

श्री अजय माकनः नहीं, आप पुराने आदमी है, आप जानते हैं कि दोनों हाउसेज से पास करवाना काफी नहीं है। उस पर प्रेजिडेंट द्वारा असैंट होती है। ...(व्यवधान) आप प्रधान मंत्री की बात क्यों उठाते हैं?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : This is not what they have said. They have not said that it is a temporary arrangement. उन्होंने उसे परमैनैंटली पास कर दिया। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Maken, you are a responsible person.

... (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I say that it is a slap on both the Houses of Parliament. It is a slap on democracy. It is a slap on the Government ... (*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, what is happening? This is not a discussion. ... (*Interruptions*) Heavens are not going to fall if he waits till the Question Hour is over.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने सारे रैजोल्यूशन को नलिफाई कर दिया। 3-4 दिन में एक हजार दुकानें गिरा दीं। जिस दिन यह पास हुआ ...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : He can very well raise this issue at 12 o'clock. He is unnecessarily curtailing the Question Hour.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह डैमोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं? कोर्ट के कंटैम्प्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ...(व्यवधान) The Government should know what is happening. ...(व्यवधान) कोर्ट इसे ऑनर करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Leader of the House would like to say something.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री भारद्वाज जी भी बैठे हैं। श्री जयपाल जी ने जो बिल पास किया, उसमें कहा कि कोर्ट उसे ऑनर करेगा, कोई दिल्ली में मकान नहीं गिरेंगे? ...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : He should make out a case as to why the Question Hour should be suspended.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा था कि इसका परमानैंट मैकेनिज्म निकालेंगे। इसका क्या मतलब है? सोमवार को यह बिल पास हुआ था। करीब पांच दिन बीत गए। इस बीच में एक हजार मकान गिरा दिए गए, दो हजार दुकानें सील कर दी गईं और 500 झुग्गियों को बिना बताए शिफ्ट कर दिया। यह कहा गया कि कोई रेहड़ी-पटरी वाला मिल गया तो एसएचओ उसका जिम्मेदार होगा। They should know what is the spirit of this House?

उपाध्यक्ष महोदयः आपका सबमिशन हो गया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बजाय इसे यह डिफेंड करें उनको इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए और इस काम को फौरी तौर पर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः आप सरकार के विचार सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Sir, the Leader of the House wants to make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विाय है। ...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : इस पर सब को बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः इलियास जी, आप बैठिए, आपने नोटिस नहीं दिया है[R2]।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो परिस्थिति बन गई है, दुकानों को सील करना, तोड़ना, झोंपड़ियों को उजाड़ना, इससे पूरा देश और सदन चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और सरकार ने अपनी चिंता का परिचय भी दिया और एक कानून बनाया। जैसा श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि आज के बाद एक साल तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जायेगी और इस बीच में हमें एक-एक मामले की ठीक से समीक्षा करनी है और हम ठीक से देखकर इस पर आवश्यक कदम उठायेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन लोक सभा और राज्य सभा से कानून के पास होने के बाद भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रुकी, तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती रही, सीलिंग होती रही, बल्कि और तेज हो गई। संबंधित अधिकारी इसी बात की सूचना जब न्यायालय में देने के लिए गये तो सूचना देने के एवज में न्यायालय ने उन पर टिप्पणी की क्या कभी जेल को अंदर से देखा है, अंदर से कैसी सुन्दर लगती है। उन्होंने कहा कि हम लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित कानून के बारे में बताने आये हैं तो उन पर पचास हजार रुपये जुर्माना कर दिया, ट्रांसफर और निलंबन का आदेश कर दिया और इसके अलावा मामला सी.बी.आई. को इंक्वायरी के लिए सौंप दिया। हम कहना चाहते हैं कि सदन बरकरार है तो आप और हम बरकरार हैं, सरकार और सारे लोग बरकरार हैं। प्रजातंत्र में अगर इसी तरह से सदन का मखौल उड़ाया जायेगा और हम यहां से कहेंगे कि क्वैश्चन ऑवर चलता रहे और उधर से लोग चिल्लायेंगे कि क्या आसमां उलट जायेगा। जब यह सदन ही नहीं रहेगा, इसकी मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर यहां बोलने का क्या मतलब रह जायेगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि चर्चा के दौरान श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने भी सवाल उठाया था और हमने भी यह सवाल उठाया था कि हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि विधायिका का क्या कार्यक्षेत्र है, न्यायपालिका का क्या कार्यक्षेत्र है। यदि इनके कार्यक्षेत्र को परिभाति नहीं किया गया तो दिन-प्रतिदिन यह परिस्थिति और बिगड़ती जायेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि क्वैश्चन ऑवर का कोई मतलब नहीं है, आप सदन की कार्यवाही स्थगित कीजिए और इस महत्वपूर्ण सवाल पर विस्तार से चर्चा कराइये। सरकार पूरी तरह से तैयार होकर इसका उत्तर दे कि इस मामले में सरकार क्या करने जा रही है, यह बताये। अगर इसी तरह से यह मामला चलता रहा तो सदन को चलाना जरुरी नहीं लगता, सब कुछ न्यायपालिका के जिम्मे सौंप दीजिए। देश की किस्मत भी उनके हाथ सौंप दीजिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग वे लोग करें, सड़क, पुल और पुलिया वे बनायें और हम लोग यहां बैठकर जिस तरह से ताली बजाते हैं, उसी

तरह से ताली बजाते रहें। यही करने के लिए हम लोग खड़े होंगे। इसलिए आप सदन सदन की कार्रवाई स्थगित कीजिए और विस्तार से इस पर चर्चा कराइये।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I must submit that this is not a political issue. This is absolutely a constitutional issue. While agreeing with the contention of Prof. Malhotra that while the law was being enacted by Parliament – both the House have passed the Bill and we are awaiting the approval of *Rashtrapatiji,* - in such a situation, such an order is not called for. Therefore, let us look at the point from the constitutional point of view. Let us not blame the Prime Minister. Let us not politicise the whole issue. … (*Interruptions*) Prof. Malhotra, you had your say. Let us not politicise the issue. I must suggest most humbly to the Government to immediately move the Supreme Court to bring a stay on the order and also try to expedite the approval of *Rashtrapatiji.* We feel humbly that Parliament has its own role; court has its own role. We respect Judiciary. Judiciary should have also an equal respect for the Legislature. Let us not go into confrontation. I urge upon the Government to go to the Supreme Court immediately, and I request the Government to get the approval of *Rashtrapatiji* immediately so that the law is enacted. I cannot say anything more. The only thing I wish to say is that Parliament feels really embarrassed and humiliated. We do not like to humiliate the Judiciary nor Parliament should be humiliated by the Judiciary. Let us look at the point from a constitutional view. Over judicial activism is a menace and a problem and the same should be taken care of by the highest court of India.

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह दिल्ली के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कानून लोक सभा और राज्य सभा ने पास किया, उसके पास होने के बावजूद भी इस तरह का ऑर्डर हुआ है और दिल्ली के ऐसे हालात बन रहे cé[R3] ।वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। मैं दास गुप्त जी की बात से इत्तिफाक करता हूं कि यह कोई सियासी सवाल नहीं है। यह सवाल दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और सब कुछ होने के बाद भी आज अखबारों में छपा है, "Court sets up panel to monitor demolition. और रोजाना की रोजाना खबरें दी जाएं कि कितना डीमोलिशन हुआ है। इसलिए यह बहुत ही गंभीर सवाल है। लगता यह है कि यह संसद मजाक बनकर रह गयी है। इतने गंभीर सवाल पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी वजह से यह संदेश न जाए कि संसद अर्थहीन हो गई है और उसका भी मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है।

श्री ब्रजेश पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विगत दिनों एक ऐसा बिल पास किया गया जो आम जनता की आवाज थी, दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी वासी, पटरी-दुकानदार, रेहड़ी वाले, दबाये गये और कुचले गये। पिछड़े हए लोगों की आवाज पर हम लोगों ने बिल पास किया और सर्वसम्मति से बिल पास हुआ। चाहे भाजपा के लोग रहे हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग रहे हों, चाहे हमारे साथी रहे हों, सभी लोगों ने इस बिल का समर्थन किया।

लोकतंत्र की अवधारणा के साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रतिज्ञा ली थी और ऐसी सोच बनाई थी कि हिन्दुस्तान में जो कार्य प्र णाली अपनाई जाएगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी। लेकिन विगत कई वर्षों से ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश महोदय विधायिका सहित, कार्यपालिका सहित लगातार हमारे हितों पर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं और जबर्दस्ती उसमें घुसने का प्रयास करते हैं जिसको आपराधिक तरीके से हम ट्रैसपासिंग भी कह सकते हैं। दिल्ली में कई

जगह आप बोर्ड लगे देखेंगे कि यहां पर घुमाना मना है, यू टर्न नहीं ले सकते। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि हाइ कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यहां पर पुल बना दिया जाए, हाइ कोर्ट ने कह दिया कि यहां पर सड़क बना दी जाए। हम लोग जनता से चुनकर आते हैं। संविधान में स्पट तौर पर लिखा है, यह लोगों का सदन है, लोगों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लोगों के प्रति हमारा दायित्व है और लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pathak, please sit down, now.

श्री ब्रजेश पाठक : सर,बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दबाये गये, कुचले गये और पिछड़े लोगों के लिए काम किया है। आज जब उत्तर प्रदेश सहित हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में ऐसे लोगों को दबाया गया, कुचला गया, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री ब्रजेश पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हम अपनी पार्टी का मत रखना चाहते हैं। बिल पास हो गया, सभी राजनैतिक दलों ने अपना मत रखा लेकिन जब दबाये गये, कुचले लोगों की तथा पिछड़े लोगों की बात आएगी तो बहुजन समाज पार्टी कतई शांत नहीं रहेगी और सदन के अवमानना के सवाल पर क्योंकि यह सदन की अवमानना का सवाल है। हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। ऐसे लोग जिनका चयन लिखित परीक्षा पास करके हुआ है या परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करके वहां गये हैं, अगर हमारे हितों में कटौती करेंगे तो सदन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लोक तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और लोकतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। हम सदन के माध्यम से स र्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि इसकी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए और दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ी वासियों पर जो लगातार अब भी हाइ कोर्ट का अंकुश उन पर चल रहा है, उनके मकानों को गिराया जा रहा है, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति की हानि हो रही है और जिन लोगों ने मकानों को गिराया, उसकी जांच होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन इस आशा के साथ कि सदन में कोई ऐसा निर्णय हो जाएगा जिससे इन पर अंकुश लग सके।

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं तथा साथ ही आपका आभार मानता हूं कि यह विाय किसी दल से संबंधित नहीं है और किसी सरकार का भी विाय नहीं है। आज बहुत ही गंभीर परिस्थति पैदा हुई है। न्यायालय का जो रुख हुआ है क्योंकि यह केवल पूर्वांचल के बिहार या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या आसाम के रहने वाले लोग जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, उन लाखों लोगों पर बुलडोजर लगाने के लिए जो रोक सरकार ने लगाई थी और व्यावसायिक मकान थे, उनकी तोड़-फोड़ पर रोक लगी थी, यह विधेयक पास हुआ कि एक साल के अंदर स्थिति स्टेटस-क्यू रहेगी और कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी। जब ऐसा विधेयक संसद पारित करती है और उसके लिए जो प्रक्रिया है, ठीक है, राट्रपति जी का असेंट होगा लेकिन क्या न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं है कि संसद ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। एक सं वैधानिक सर्वोच्च संस्था जो देश के अंदर लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद है और संसद में सर्वसम्मति से पारित किसी प्रस्ताव का सम्मान करना न्यायपालिका क्या नहीं समझती है ? पूरी तरह से समझती है। मुझे आपसे निवेदन करना है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था में एक भी- ाण परिस्थिति पैदा हुई cè[R4]। एक तरह से अनप्रिसीडेंटेड सिचुएशन पैदा हो रही है, न्यायालय के एटीच्यूड से एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है। भारत के संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की एक सीमा निर्धारित कर दी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह टकराव की स्थिति क्यों पैदा हुई है? आज यह साफ साबित हो रहा है कि न्यायपालिका टकराव की स्थिति पैदा करने जा रही है। जो उसका एटीच्यूड है, उसे अपनी सीमा में रहना चाहिये। इसलिये संसद में प्रस्ताव पारित होना चाहिये। महामहिम राट्रपति जी को नियमानुसार हस्तक्षेप करना चाहिये क्योंकि यह स्थिति आज पैदा हुई है। आज महामहिम राट्रपति जी के लिये हस्तक्षेप करने का मौका है कि संसद का क्या कार्य क्षेत्र है, न्यायपालिका का क्या कार्य क्षेत्र है और कार्यपालिका का क्या कार्य क्षेत्र है। वे सब अपनी अपनी सीमाओं में रहें और हर संस्था का एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो। इन सब की व्यवस्था कौन देगा?

उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस सर्वोच्च आसन पर बैठे हुये हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। महामहिम राट्रपति जी की भी जिम्मेदारी है। भारत के इतिहास में आज जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, इसके पहले कभी पैदा नहीं हुई होगी। आज आजादी के 58 साल बाद एक नई परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, इसलिये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा है। यदि यह स्थिति आगे बढ़ती है तो इस टकराव की स्थिति को रोकने के लिये समाधान का रास्ता तुरंत निकालना चाहिये।

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we express our grave concern on the latest decision of the Court. When the concerned Bill has already been passed unanimously by both the Houses of

Parliament and it is awaiting President's assent, everybody should take note of it including the court.

Whenever there is any judgement by the Court, Parliament always takes note of it and the whole country takes note of it. Similarly, whenever Parliament passes any such Bill, the whole country as also the Judiciary should take note of it that this is the people's problem and their demand, and it is the Parliament -- people's highest body -- which has passed this Bill. It was the demand of the people to bring and pass such a Bill to save the situation.

Sir, it is not a personal matter or a political matter or a party matter. But unfortunately, this growing transgression of power is endangering our theory of separation of powers provided in our Constitution. I think, the courts also should take note of the sentiments of the people and the Parliament, and restrain themselves within their judicial and reasonable powers.

Therefore, the Government should take immediate action to save the situation. I would appeal that the hon. President also should take note of the situation. If the prevailing situation deteriorates further, it would not be in the best interest of the country. So, proper separation of powers should be implemented, which should be taken note of by everybody.

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : उपाध्यक्ष जी, जब से स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर होने के लिये कहा गया, मैं उस दिन से देख रहा हूं कि ज्युडिशियरी और लेजिस्लेचर में काफी तनाव पैदा होता नजर आ रहा है। उसे सुलझाने की कोशिश की जाये। आज श्री मलहोत्रा जी ने जो मसला उठाया है, उससे लगता है कि मामला और सीरियस होता जा रहा है। श्री गुरुदास दासगुप्त ने यह बात ठीक कही कि सरकार ज्युडिशियरी के साथ बैठकर संविधान के तहत ऐसी बात करे ताकि आपस में टकराव न हो जाये। अगर पार्लियामेंट के कांस्टीट्युशनल राइट्स पर हर रोज़ ज्युडिशियरी कब्जा करेगी तो यह कुदरती बात है कि जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, उससे स्थिति हर रोज़ खराब होती चली जायÉäMÉÉÒ[RB5]। इसको भी सुलझाना चाहिए। मल्होत्रा जी ने जो कहा है और सभी सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात ही, है, मैं उसके साथ हूं। ऐसा ही होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुखर्जी जी, प्लीज़ एक मिनट। उनकी बात भी सुन लें कि वे क्या कहना चाहते हैं नहीं तो वे रोड़ा डालेंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष मजी, हमारा कहना इतना ही है कि ...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : बोलने दीजिए, काफी चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)

Mr.Deputy-Speaker, Sir, I share the anguish and concern expressed by the hon. Members over the situation which has cropped up.

This House passed a legislation and the other House approved it. As per the normal process of the legislation, it requires to be assented to by the hon. President. This is the normal way of the legislation which is being done. In the interregnum period something has happened which was not expected and perhaps which was not called for at all. But unfortunately, sometimes these types of incidents do happen and surely there is a constitutional way of taking care of all these matters and also to correct the aberrations which take Placed sometimes, however undesirable it may be. I can assure the hon. Members that the Government is aware of the fact of the situation. The will of the Members of Parliament as reflected in passing the legislation will be fully implemented. But let the process be completed and let the assent be given by the hon. President. We will also take whatever legal and constitutional remedial measures available to retrieve the situation and it will be taken care of. If I have an additional information at the end of the day, I will inform the House.

Sir, with these words, I request the hon. Members and you, Sir, to carry on the normal business of the House. Some time has lapsed. Let the Question Hour continue. I will keep the House informed looking at the

developments. … (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो आज डिमोलिशन हो रहा है, जो आज बुलडोज़र चल रहे हैं, जो दुकानें सील की जा रही हैं, उनको रोकिये। The police is under you and the Corporation is under you. They can give a direction to them not to implement the court order. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHEERJEE: Prof. Vijay Kumar Malhotra is an hon. Member of this House. He knows the subject very well. Let us not complicate the issue. … (*Interruptions*) Please listen to me. Technically, the law is not yet in force unless it is assented to by the hon. President. … (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : The law is not a question. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस वक्त हमारे साथ चलिए, हम बताते हैं कि किस-किस जगह पर डिमोलिशन हो रहा है। …(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If he wants to disrupt the proceedings of the House, if he is not interested in having a solution to it and if he is interested in getting political advantage out of it, he is free to do whatever he wants. But there is nothing in it. He has just developed the habit of disrupting the proceedings of the House on this plea or that plea. It is for the hon. Members to decide. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रणब मुखर्जी के अलावा और किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions) ...*

---

*Not Recorded

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Most respectfully I submitted to Shri Prabhu Nath Singhji that everybody is expressing his concern. But he is the only person who is trying to play politics in it. He has developed the habit of disrupting the House. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Question Hour.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You should take care of your behaviour. … (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : जयपाल रेड्डी जी का सदन को आश्वासन है कि आज के बाद तोड़-फोड़ नहीं होगी। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है और यह आदेश उसका उल्लंघन है। इसमें राजनीति का सवाल कहां है? …(व्यवधान) सरकार ने जो आश्वासन सदन को दिया है, सरकार को अपने उस वचन पर खड़े रहना चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह गंभीर मामला है। …(व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Why do you not stop? … (*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, we request you to take up the Question Hour. … (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर पुलिस वहां नहीं जाए तो डिमोलिशन अपने आप रुक जाएगा। …(व्यवÉvÉÉxÉ[R6])

The Leader of the House is not assuring that this will be stopped.… (*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, we request you to take up the Question Hour.… (*Interruptions*) They are in the habit of disrupting the proceedings of the House.… (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप प्रश्न-काल चला लीजिए,उधर मकान टूटते जाएं।...(व्यवधान) आप हाउस को चलाते रहें।...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल को तुरंत बहाल किया जाए।...(व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We want an assurance from the Leader of the House.… (*Interruptions*) Why are you not giving an assurance to the House?… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 1145 hours.

11.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Forty five Minutes

past Eleven of the Clock[R7].

11.45 hrs.

-

The Lok Sabha reassembled at Forty-Five Minutes past Eleven of the clock.

(Mr. Deputy Speaker in the chaIr)

SUBMISSION BY MEMBERS …Contd.

Situation arising out of the continuing demolition in Delhi despite passing out legislation by the Parliament banning demolition for a period of one year

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जो चर्चा चल रही थी, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सबमीशन कर दी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबमीशन कर दी, तो उसका उत्तर चाहिए। ...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सात नए कोर्ट कमिश्नर्स बना दिए गए हैं और पहले के पांच बने हुए हैं। इस प्रकार 12 कोर्ट कमिश्नर पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सबमीशन के लिए समय दे दिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, सारी दिल्ली में कोर्ट कमिश्नर्स घूम रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो-जो अनऑथोराइज्ड मकान हैं उन्हें गिरा दो। वे सारी दिल्ली को नोटीफाई कर रहे हैं और एम.सी.डी. को आदेश दे रहे हैं कि डिमॉलिश कर दो। हमने कहा है कि आधी से ज्यादा दिल्ली अनऑथोराइज्ड है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House shall take up Question Hour.

... (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, there is no assurance from the Government side. Unless and until, there is an assurance from the Government side, the House will not function. जब तक सरकार मकानों को गिराने से रोकना एंश्योर नहीं करेगी, तब तक हाउस कैसे चलेगा। ...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सरकार के आश्वासन का भरोसा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

महोदय, अब स्थिति ऐसी बन गई है कि न्यायपालिका के आदेश की वजह से दिल्ली में अनधिकृत मकानों को गिराने और सील करने की स्थिति के कारण और इसे रोकने के लिए चर्चा उठाई थी और हम सरकार से आश्वासन चाहते थे, लेकिन सरकार आश्वासन नहीं देना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप हाउस की कार्यवाही को स्थगित कीजिए और इस गम्भीर सवाल पर पुनः विचार करते हुए न्यायपालिका और ि वधायिका के बीच कोई टकराव न हो और कोई सम्मानपूर्वक समाधान निकल सके, इस ओर आगे कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। आपसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, where is the assurance? We were assured that an assurance will be given. ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Question Hour. Q. No. 502 – Shri Sugrib Singh.

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल हमने सदन में प्रस्तुत किया है और उस पर सरकार के उत्तर से हम संतुट नहीं होते हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें संरक्षण प्रदान करें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकृपया बैठिए।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने कंसर्न रेज किया है, हम लोग उससे सहमत हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कानून के दायरे में रहकर के डिमॉलिशन प्रोसीडिंग्स और सीलिंग को रोकने के लिए जो भी प्रयास सरकार की ओर से उठाना संभव होगा, उसे उठाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा हूं कि अभी से कोशिश करें और जो मकान इस समय गिराए जा रहे हैं, उन्हें रुकवाएं। What is wrong in that?… (*Interruptions*)